

मुख्य पोस्ट मार्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनानात्मक डाक व्यव की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र. 108 भोपाल-09-11.

## मध्यप्रदेश राजपत्र

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2009—फाल्गुन 22, शक 1930

#### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत को  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा पारिशृण.

भाग 2.—स्थानीय निकाय को अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं  
(2) सांचिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरस्यापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2009

क्र. प्रक. ऐ 5-16-2007-एक (1).—राज्य शासन द्वारा भाननीय मुख्य न्यायाधिपति, श्रो ए. के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,  
उच्च न्यायालय, जगतालाल को नियमानुसार पुण वेतन तथा भनों सहित अवकाश द्याकृत किया जाता है।—

क्रमांक	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अधिकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दिनांक 5 से 9 जनवरी 2009	5 दिन	पूर्ण वेतन भनों सहित अवकाश।	अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 जनवरी 2009 तथा अवकाश पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 जनवरी 2009 के शावजिनिक तारीख की अनुमति सहित।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पटेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर दिनांक 2 मार्च 2009

- क्र. 826-भृ-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को खाने (6) में उसके साप्तरे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भृ-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रामांक एक, मन् 1894) को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय को सुनना दी जाती है याज्ञ शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उसके भूमि के सबूध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भूमि निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के सबूध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम को धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सबूध में लागू होते हैं—

**अनुसूची**

क्रिया	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग भूमि का वर्णन (हेक्टर में)	धारा 4(2) का अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(1)	(2)	(3)
इन्दौर	सावर	हतुनिया	36.459	उप महाप्रबंधक (निमाण) परिवार पिछु कर्पोरेशन ऑफ इंडिया नि. हन्डौ	765/400/220 के त्वे सर्व-स्टेशन के निमाण हेतु	

भूमि का नमा (न्याय) का निरीक्षण, नियन्त्रण, इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील, सावर के कार्यालय में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से जाता आठेशानुमार,  
राजेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पटेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पटेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना दिनांक 2 मार्च 2009

- भृ-अर्जन-प्र क्र. -09 पत्र क्र. ....-भृ-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके साप्तरे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अधका आवश्यकता पड़ने की सभावना है अतः भृ-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रामांक एक, मन् 1984) को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इय आशय को सुनना दी जाती है याज्ञ शासन, उसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबूध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबंध उक्त भूमि के सबूध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सबूध में लागू होते हैं—

**अनुसूची**

क्रिया	तहसील	ग्राम	अन्तर्गत भूमि (हेक्टर में)	धारा 4 का उपधारा (2) का द्वारा		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	भरवाहकता	5.730	कायापालन यांत्रि जल संग्रहालय संचेतन यांत्रि यांत्रि					सावार बाय निमाण

कायापालन यांत्रि जल संग्रहालय परियोजना का नमा है

किया जाए

सिंह, सं

# का साया

केंद्र ने सभी जिला स्वोत राज कोर्स में बच्चों का परीक्षण भारतीय ब्रिज कोर्स के लिए शिक्षकों आधार पर 1350 रुपए दिए इन के पहले शिक्षा केंद्र ने राखी और कराना तय किया है।

## आर्थिक मदद है कारण

हाल ही में शिक्षा केंद्र ने कई जिलों से शिक्षायत मिली थी कि बच्चे नहीं होने के बावजूद उनके नाम से ब्रिज कोर्स मंचान्वित किया जा रहे हैं। फर्जी नामों से ब्रिज कोर्स के तहत आर्थिक मदद नी जा रही है। इसनिए पहले परीक्षण के नियमित रूप से परीक्षण में बड़ी संख्या में रक्षी जाव लाभने आने वाले उपरांक हैं।

१  
ट्रॉ

१९  
रेविटा  
शोधन  
उत्साह  
तक

वजे  
गढ़

## कार्यालय कलेक्टर इंटीर मध्यप्रदेश एवं पटेन उपसचिव म.प्र. शासन, गजस्त विभाग

इंटीर दिनांक

### अधिसूचना

क्रांति, १० अगस्त २०२३। दूसरी गज शासन का एक विवेत होता है इसके अन्तर्गत अनुसूची के साथ (१) से (४) में दर्जीत भूमि की अनुसूची के साथ (५) में उसके लागते दिए गए सर्वोन्मेष एयोजन के दिए आवश्यकता है अक्षय आवश्यकता पटेन की आवश्यकता है। इसके दूसरे अन्तर्गत १४७४ (क्रमांक ८२ तक तक १३५५) में धात ५ की उपकार (१) के अनुसार विवेत अनुसूची के साथ संबंधित शिक्षियों को इस आवश्यकी सूचना की जाती है कि यह राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के लागत (५) में दर्जीकृत अधिकारी को उक्त भूमि के नियम सुनकर उक्त भूमि की छापावाली दी जाए वा इस शिक्षियों के प्रयोग करके किसी प्रतीकृत करावाली के नियम ताकि वह यह द्वारा दिए गए अनुसूचित भूमि की धरता ५-५ के उपर्युक्त उक्त भूमि के नियम सुनकर उक्त भूमि की धरता ५-५ के उपर्युक्त उक्त भूमि की धरता ५-५ को उत्तरार्थ (१) के अनुसार उक्त भूमि के नियम सुनकर देनी है।

#### भूमि का कर्बन

जिला	लकड़ील	नगर/ ग्राम	तथापय संचयकल	धारा-४ (२) के अंतर्गत प्राप्तिकृत रु. में अधिकारी	सर्वोन्मेष एयोजन का वर्णन
इंटीर	सायर	हर्याणा	३६,४५९	५	६

भूमि का नम्बर (स्लॉन) का निरीक्षण वितावास इंटीर एवं अनुबोधनान्वय प्रधिकारी तहसील राजदेव के अवालम्बन में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यालय के नम से तथा आदेशानुकर  
(राजेश श्रीवास्तव)  
कलेक्टर विवेत इंटीर  
पटेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन  
राज्य विभाग

जी २६.०८.०९

सचिव काम  
लकड़ील द्वार  
जानी काम्पिं  
लकड़ील ने  
गणेश। देव  
देवदत्त व. र.  
किंचन कर  
लकड़ील अंकुर  
आर. व. व.  
लकड़ील द्वार  
दर्शन अंकुर  
२००४ अ  
का जान। व.  
नीलामी द्वार  
राष्ट्र वाडी।  
२,९६० अ  
नाम। जान  
करन। दर्शन  
लकड़ील ने  
३९, २६३५  
त. १, ५०१  
का स. २, ५  
लकड़ील ने १  
का द. निरी  
संचयकल १  
१, २३, ३६  
उष्ण लकड़ील  
१, ६६, ५२०५  
१, टेलर द.  
१, ६००० अंकु  
लकड़ील द्वार  
१९, ५६०५  
का जान। दर  
८, २८, २१